



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244963
CG-DL-E-06042023-244963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1525]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945

No. 1525]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ.1603(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में दहेज - उरण - पनवेल - दाभोल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब , भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी , गेल (इंडिया) लिमिटेड , गुजरात राज्य , को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूचि

दहेज उराण पाइप लाइन परियोजना दहेज से उराण									
राज्य : गुजरात									
जिल्ला	तहसील	ग्राम	सवे नंबर.	क्षेत्रफल					
				अनुसूचित क्षेत्र			संशोधित क्षेत्र		
				हेक्टर	आरे	वर्ग मीटर	हेक्टर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5			6		
सुरत	चौर्यासी	उमबेर	256	0	23	87	0	01	36
			257	0	58	43	0	50	94
			258	0	51	71	0	42	26
			288	0	05	46	0	16	30
			289	0	15	53	0	13	94
			290	0	13	62	0	06	79
			291	0	14	50	0	23	33
			306	0	03	42	0	20	33

[फा.सं. एल-14014/160/2021-जी.पी.-II(ई- 40357)]

एम. आर. नाजमी अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 1603(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Dahej – Uran –Panvel-Dhabol Natural Gas Pipeline (DUPL) in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited, State of Gujarat.

SCHEDULE

DAHEJ-URAN PIPELINE PROJECT								
DAHEJ-URAN								
STATE : GUJRAT								
DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA				
				NOTIFIED AREA			REVISED AREA	
				HECT.	ARE.		HECT.	ARE.
1	2	3	4	5			6	
SURAT	CHORIYASI	UMBER	256	0	23	87	0	01 36
			257	0	58	43	0	50 94
			258	0	51	71	0	42 26
			288	0	05	46	0	16 30
			289	0	15	53	0	13 94
			290	0	13	62	0	06 79
			291	0	14	50	0	23 33
			306	0	03	42	0	20 33

[F. No. L-14014/160/2021-GP-II(E-40357]
M.R. NAZMI, Under Secy.